# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2021/136

हरला आत्मज रतना आयु 75 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम सुरगली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. हरजी लाल आत्मज छीतर जी ।
2. राजाराम आत्मज छीतर जी ।
3. रामफूल आत्मज छीतर जी ।
4. राकेश आत्मज छीतर जी जाति बैरवा निवासी ग्राम सुरगली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 की ओर से ।

**निर्णय** दिनांक: 30.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुरगली तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 176 रकबा 09 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में जाने हेतु एक कदीमी रास्ता ग्राम सुरगली से चलकर खसरा नम्बर 165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर चलता हुआ खसरा नम्बर 188 के दक्षिणी मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 176 में पहुंचता है । उक्त रास्ता सैकडों वर्षों से

चला आ रहा है जिस पर होकर ही वादीगण अपने गाडी, बैल, ट्रेक्टर एंव कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य करते आ रहे हैं । इस रास्ते का वादीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है । यह रास्ता करीब 12 फीट चौडा है । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है इस कारण वह उक्त रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हो रहे हैं । उक्त रास्ता जो 12 फीट चौडा है को 20 फीट तक चौडा कराने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 176 पर पहुंचने का रास्ता खसरा नम्बर 165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से शुरू होकर उत्तर की ओर चलता हुआ खसरा नम्बर 165 के पश्चिमी उत्तरी कोने एंव खसरा नम्बर 168 के दक्षिणी मेर पर उत्तर दक्षिण रास्ता खसरा नम्बर 176 तक घोषित किया जावे । राजस्व नक्शा ट्रेस में तद्नुसार संशोधन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से वर्णित रास्ते पर वादीगण के आवागमन ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ते के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई अडचन पैदा नहीं करे । उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 हरला ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाछौला में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत बिना अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट की आराजी पर से होकर रेस्पोडेन्ट का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज है । परीक्षण न्यायालय को रास्ते के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि धारा 251 ए समरी प्रोसिडिंग है जिस पर स्वयं तहसीलदार द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार की जा सकती है । पत्रावली पर ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है । साथ ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य बाद तनकीयात की तय की जा सकती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया अपीलान्ट दिनांक 27.06.2017 को किसी अन्य काम से कैम्प बाछौला में उपस्थित हुआ जहॉ पर प्रार्थी बिना जानकारी व सहमति के खाली कागज पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा लिये गये । हाल ही में दिनांक 06.07.2021 को हल्का पटवारी द्वारा जानकारी देने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 07.07.2021 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त

कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत बिना अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट की आराजी पर से होकर रेस्पोडेन्ट का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज है । परीक्षण न्यायालय को रास्ते के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि धारा 251 ए समरी प्रोसिडिंग है जिस पर स्वयं तहसीलदार द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार की जा सकती है । पत्रावली पर ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है । साथ ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य बाद तनकीयात की तय की जा सकती है ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध 04.08.2021 को पेश की है जो लगभग 04 वर्ष के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण भी नहीं बताएं हैं । प्रतिवादी अपीलान्ट राजस्व लोक अदालत कैम्प बाछौला में उपस्थित हुआ है उनके उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में 02.02.2017 इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट ने अपने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे संतोषप्रद नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) एवं धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुरगली तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 176 रकबा 09 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में जाने हेतु एक कदीमी रास्ता ग्राम सुरगली से चलकर खसरा नम्बर 165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर चलता हुआ खसरा नम्बर 168 के

दक्षिणी मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 176 में पहुंचता है । उक्त रास्ता सैकडों वर्षो से चला आ रहा है जिस पर होकर ही वादीगण अपने गाडी, बैल, ट्रेक्टर एंव कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य करते आ रहे हैं । इस रास्ते का वादीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है । यह रास्ता करीब 12 फीट चौडा है । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है इस कारण वह उक्त रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हो रहे हैं । उक्त रास्ता जो 12 फीट चौडा है को 20 फीट तक चौडा कराने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली तलबी प्रतिवादी कम 16 एवं प्रतिवादी कम 2 लगायत 9 एवं 11, 12 के जवाबदावे में लम्बित थी जिसमें दिनांक 07.07.2017 की आंगामी तारीख पेशी नियत थी । उससे पूर्व ही दिनांक 27.06.2017 को लोक अदालत कैम्प बाछौला में रखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश किया है जबकि धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की हैसियत से परीक्षण न्यायालय में पेश किया जाता है । हालांकि राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट ने उपस्थिति के हस्ताक्षर किये हैं परन्तु परीक्षण न्यायालय में प्रकरण तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित था और उसमें आगामी पेशी दिनांक 07.07.2017 नियत थी और उससे पूर्व ही इसको लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है । तहसीलदार या अन्य किसी राजस्व कार्मिक की कोई रिपोर्ट रास्ते के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं है । यदि रेस्पोडेन्ट की सहमति मानी भी जाती है तब भी धारा 251 (क) के निस्तारण के समय परीक्षण न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य होने चाहिए । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी मूलतः रास्ता चाह रहा है । इसके साथ ही धारा 188 एवं धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद रूप में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । हम अधिवक्ता अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि यदि प्रकरण में धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत है जिसमें सीपीसी के प्रावधानों की पालना होकर नियमानुसार निस्तारण हो । आदेशिका दिनांक 02.05.2017 से स्पष्ट है कि लोक अदालत में प्रस्तुत होने से पूर्व पत्रावली तलबी एवं जवाब में नियत थी । लोक अदालत में प्रतिवादी कम 2 लगायत 9 तथा 11 व 12 उपस्थित नहीं नहीं हुए तथा न ही उनका कोई जवाब प्रस्तुत हुआ है । पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने इकबालिया जवाब भी दिया है तथा लोक अदालत में उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये हैं । परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की, न ही कोई पटवारी अथवा तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त की, केवल वादी द्वारा जो नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है उसे स्वीकार कर लिया । किस खसरे में से कितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज होगी यह भी कहीं भी निर्णय में अंकित नहीं है । धारा 251 (क) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी नियम 69 व 70 की कोई पालना नहीं की गई है । रास्ते में किस खातेदार की कितनी भूमि आएगी ? कुछ भी स्पष्ट नहीं है । हम रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि इकबालिया जवाब पेश किया जाने पर (Principle of Estoppel) लागू होता है । परन्तु नियमानुसार वाद में सीपीसी तथा Summary Proceeding में धारा 251 (क) तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों की पालना आवश्यक थी । धारा 251 (क) तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 69 की पालना नहीं होने से प्रकरण में पूर्णतः अस्पष्टता प्रतीत होती है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि व्यवहार प्रकिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा